छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर

//आदेश//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 31/12/2021

क्रमांक–बी–1–16/2021/एक/4 :: राज्य सेवा परीक्षा वर्ष–2019 के माध्यम से राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग में डिप्टी कलेक्टर (कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान) के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की चयन सूची क्रमांक 540/15/चयन/2021, दिनांक 18.09.2021 प्राप्त हुई है।

2/ राज्य शासन एतद्द्वारा आयोग की चयन सूची अनुसार दर्शित उम्मीदवारों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक प्रथमतः 03 वर्ष की परिवीक्षा पर **डिप्टी कलेक्टर** के पद पर कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये 15600–39100 एवं ग्रेड पे 5400 वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 में नियुक्त करता है। नियुक्त अधिकारियों की सेवायें वित्त विभाग के निर्देश 21/2020 क्रमांक 372/260/वि/नि/चार/2020, दिनांक 29.07.2020 के अध्याधीन रहेगी, तद्नुसार परिवीक्षाधीन अवधि पर नियुक्त अधिकारियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः डिप्टी कलेक्टर के पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70%, 80% एवं 90% राशि स्टायपेण्ड के रूप में दिया जाएगा, तथा परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान के न्यूनतम पर वेतन नियत किया जाएगा । चयनित अधिकारियों को निम्नांकित तालिका में उनके नाम के समक्ष कॉलम (4) में दर्शाये गये जिले में पदस्थ किया जाता है :–

स. क्र.	लोक सेवा आयोग की चयन सूची का वरियता क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं वर्तमान डाक का पता	पदस्थापना का कार्यालय एवं जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मुख्य सूची के सरल क्रमांक 1	**श्री नीरनिधि नन्देहा** पिता – श्री के.एल. नन्देहा डी–6, प्रेम पार्क, महावीर नगर, न्यू पुरैना, जिला – रायपुर (छ.ग.) पिनकोड – 492001	कार्यालय कलेक्टर जिला–जांजगीर–चांपा
2	मुख्य सूची के सरल क्रमांक 2	**सुश्री सृष्टि चंद्राकर** पिता – श्री शेखराम चंद्राकर 346/24 अवंती विहार, महामाया विहार के पास, विजय नगर चौक, जिला – रायपुर (छ.ग.)पिनकोड – 492004	कार्यालय कलेक्टर जिला–महासमुन्द

-2-

3	मुख्य सूची के सरल कमांक 3	**श्री सोनाल डेविड** पिता – श्री सुनील डेविड सड़क नं. – 05, मकान नं. 14, सेक्टर बी, पंचशील कॉलोनी, बोरसी, जिला – दुर्ग (छ.ग.) पिनकोड – 491001	कार्यालय कलेक्टर जिला–धमतरी
4	मुख्य सूची के सरल कमांक 4	**श्री गगन शर्मा** पिता – श्री प्रभात कुमार शर्मा गंगा नगर, सेक्टर 02, शिव मंदिर के पास,जिला – बिलासपुर (छ.ग.) पिनकोड – 495001	कार्यालय कलेक्टर जिला–रायगढ
5	मुख्य सूची के सरल कमांक 5	**सुश्री रूचि शार्दुल** पिता – श्री श्याम शार्दुल एम/48, राजीव नगर, जिला – रायपुर, (छ.ग.) पिनकोड – 492007	कार्यालय कलेक्टर जिला–कोरबा
6	मुख्य सूची के सरल कमांक 6	**सुश्री वर्षा बंसल** पिता – श्री सुभाष बंसल बंसल रेडीमेड स्टोर, खरसिया रोड, जिला – अंबिकापुर (छ.ग.) पिनकोड – 497001	कार्यालय कलेक्टर जिला–सूरजपुर
7	मुख्य सूची के सरल कमांक 7	**सुश्री हर्षलता वर्मा** पिता – श्री अंगद कुमार वर्मा मकान नं. 60, फेस 03, वुड आईलैण्ड,अमलेश्वर, ब्लॉक – पाटन, जिला – दुर्ग (छ.ग.) पिनकोड – 491111	कार्यालय कलेक्टर जिला–कांकेर
8	मुख्य सूची के सरल कमांक 8	**सुश्री ऋचा चन्द्राकर** पिता – श्री नरेन्द्र चन्द्राकर साहू हाऊस, राज डेकोरेटर्स, दंद्वती माता मंदिर के पास, पेंशन बाड़ा, जिला – रायपुर (छ.ग.) पिनकोड – 492001	कार्यालय कलेक्टर जिला–गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही
9	मुख्य सूची के सरल कमांक 9	**सुश्री लेखा अजगल्ले** पिता – स्व. श्री रूप नारायण अजगल्ले, 2512/62, एफ टाईप, फिल्टर प्लांट,वार्ड नं. 62, समीर अख्तर वार्ड, रावणभाटा, जिला – रायपुर (छ.ग.)पिनकोड – 492013	कार्यालय कलेक्टर जिला–कबीरधाम

10	मुख्य सूची के सरल कमांक 10	**श्री विकास सर्वे** पिता – श्री विजय कुमार सर्वे लाल चौक के पास, ग्राम – किरारी,पो.ऑ. – मस्तुरी, जिला – बिलासपुर (छ.ग.) पिनकोड – 495551	कार्यालय कलेक्टर जिला–बीजापुर
11	मुख्य सूची के सरल कमांक 11	**श्री अजय मोड़ियम** पिता – श्री किष्टैया मोड़ियम अस्पताल कॉलोनी, क्वार्टर ए4, जिला अस्पताल के सामने, जिला – बीजापुर (छ.ग.) पिनकोड – 494444	कार्यालय कलेक्टर जिला–सुकमा
12	मुख्य सूची के सरल कमांक 12	**श्री सुमीत बघेल** पिता – श्री देवसिंह बघेल बंधापारा वार्ड, अटल आवास के पास, जिला – कोंडागांव (छ.ग.) पिनकोड – 494226	कार्यालय कलेक्टर जिला–नारायणपुर
13	मुख्य सूची के सरल कमांक 13	**श्री कमल किशोर** पिता – श्री हरिश खुरेन्द्र 61, नयापारा, वार्ड नं. 10, मुजालागोंदी, जिला –बालोद (छ.ग.)पिनकोड – 491226	कार्यालय कलेक्टर जिला–दंतेवाडा
14	मुख्य सूची के सरल कमांक 14	**सुश्री चांदनी कंवर** पिता – श्री एस.एस. कंवर 257, कंवर पारा, महेशपुर, कटघोरा,जिला – कोरबा (छ.ग.) पिनकोड – 495445	कार्यालय कलेक्टर जिला–गरियाबंद
15	मुख्य सूची के सरल कमांक 15	**सुश्री आकांक्षा पाण्डेय** पिता – श्री शिवनंदन पाण्डेय हाऊस नं. 88, वार्ड नं. 08, ग्राम –कोदवागोड़ान, तहसील – पण्डरिया,जिला– कबीरधाम (छ.ग.) पिनकोड – 491559	कार्यालय कलेक्टर जिला–जांजगीर–चांपा

3/ उपरोक्त नियुक्तियां रिट पिटि. क्र. (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 तथा रिट याचिका क्र. 1679/2019 में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन होगी।

4/ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी नियुक्ति उपरांत उपस्थित होने पर संलग्न प्रारूप (एक) में शपथ–पत्र प्रस्तुत करेंगे।

—4—

5/ परिवीक्षा अवधि के दौरान उक्त अधिकारी को छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाये जाने पर, वे छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा रायपुर में उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ।

6/ परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि के दौरान में विहित प्रशिक्षण, प्रशासन अकादमी, निमोरा रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यतः सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा । प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को अकादमी के आगामी प्रशिक्षण में पुनः सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे ।

7/ परिवीक्षाधीन अधिकारी को अपनी परिवीक्षा अवधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाऐं उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगी । नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकेगा । उक्त अधिकारी द्वारा उपर्युक्त अनुसार विहित विभागीय परीक्षाऐं उत्तीर्ण नहीं कर पाने अथवा उसे सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर, उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी । परिवीक्षाधीन अधिकारी की सेवाएं परिवीक्षा अवधि के दौरान भी समाप्त की जा सकेगी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में उसका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव न हो ।

8/ उक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 एवं छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा (वर्गीकरण, भरती तथा सेवा शर्ते) नियम, 1975 के अंतर्गत शासित होगी।

9/ उक्त नियुक्ति "मेडिकल बोर्ड" से शारीरिक स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने तथा पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में की जा रही है। मेडिकल बोर्ड द्वारा शारीरिक रूप से अयोग्य पाये जाने पर अथवा पुलिस चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में विपरीत तथ्य पाये जाने पर, परिवीक्षाधीन अधिकारी की सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

10/ उक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जानकारी/प्रमाण पत्र/दस्तावेज आदि गलत पाये जाने पर, उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही भी की जा सकेगी।

11/ परिवीक्षाधीन अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व इस आशय का एक बाण्ड (संलग्न प्रारूप अनुसार) शासन के हित में निष्पादित करना होगा कि उसके द्वारा परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में, वह परिवीक्षा अवधि में शासन

—5—

द्वारा उस पर व्यय की गई राशि जिसमें वेतन, भत्तें, प्रशिक्षण एवं यात्रा आदि व्यय शामिल होगा, को शासन को वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा ।

12/ "प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पदों के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है''।

13/ उक्त आदेश जारी करने हेतु छत्तीसगढ राज्य निर्वाचन आयोग की अनापत्ति प्राप्त की गई है ।

संलग्नः–शपथ पत्र एवं बाण्ड का प्रारूप।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डी.डी.सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्र. क्रमांक बी–1–16/2021/एक/4 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 31/12/2021

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्रीजी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
2. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष–4), मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
6. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, नवा रायपुर, अटल नगर,
7. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, शंकर नगर, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 2454/15/चयन/2021, दिनांक 24.09.2021 के संदर्भ में,
8. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़,
9. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
10. आयुक्त, भू–अभिलेख, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
11. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
12. संचालक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर,
13. पंजीयन, महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक छत्तीसगढ़ रायपुर,
14. कलेक्टर,जिला–जांजगीर–चाम्पा/महासमुन्द/धमतरी/रायगढ/कोरबा/सूरजपुर/कांकेर/कबीरधाम/गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही/बीजापुर/नारायणपुर/गरियाबंद/सुकमा/दंतेवाड़ा , छत्तीसगढ। कृपया अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व उसके निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का सत्यापन मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेजों से किया जाये एवं पूर्ण संतुष्टि के उपरांत ही उसे

पद का कार्यभार ग्रहण कराएं, यदि प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के सत्यापन में कोई विपरीत जानकारी परिलक्षित होती है, तो उसे कार्यभार ग्रहण न कराया जाए तथा प्रकरण तत्काल इस विभाग को मार्गदर्शन हेतु प्रेषित किया जाए। उक्त अधिकारी को कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व निर्धारित प्रारूप अनुसार बॉण्ड भरवाकर इस विभाग को भेजा जाए। संबंधित द्वारा 15 दिवस की समयावधि के उपरांत जिले में उनकी उपस्थिति इस विभाग की पूर्व अनुमति के बिना स्वीकार नहीं की जाए।

15. संचालक, कोष एवं लेखा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
16. जिला कोषालय अधिकारी, जांजगीर–चाम्पा/महासमुन्द/धमतरी/रायगढ/कोरबा/सूरजपुर/कांकेर/कबीरधाम/गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही/बीजापुर/नारायणपुर/गरियाबंद/सुकमा/ दंतेवाड़ा , छत्तीसगढ।
17. संबंधित अभ्यर्थी.. कृपया आप इस नियुक्ति आदेश के जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर अपनी पदस्थापना स्थान के कार्यालय जिला कलेक्टर, में कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करते समय निवास, जाति प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेजों को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के उपरांत जिले में आपकी उपस्थिति जिला कलेक्टर द्वारा शासन की पूर्व अनुमति के बिना स्वीकार नहीं की जाएगी।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

18. आर्डर बुक/गोपनीय प्रतिवेदन पटल/अचल संपत्ति पटल/प्रशिक्षण पटल/पदस्थापना संधारण पटल।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

---------------- The Governor of Chhattisgarh

WHERE AS, I...

S/o...R/o......................

....probationer in the State Administrative Service (Hereinafer refferred to as the probationer) being entitled to receive from the Governor (Hereinafter) referred to as the State Government) Pay and allowances during the period in which I am under probation.

Now, We, the probationer...

S/o...R/o..

and Shri...(surety)

S/o...R/o...............................

.... (hereinafter referred to as surety) jointly and severally, do hereby promise and agree in the event of the failure of the probationer to complete probation to the satisfaction of the State Government, to refund the State Government on demand any money paid to him during his probation period including the pay and travelling expenses to join appointment.

The surety hereby agrees that his liability hereunder shall not be effected, by the State Government extending the period of probation or giving the probationer an extention of time for payment of compounding the amount hereunder-

Contd....2

"Stamp duty payable or this bond shall be borne and paid by the Government.

Dated this ....day of 20

Signature of probationer...

Full Name...

Signed by probationer in the presence of

Name of witness...

&

Signature...

Address...

....

Occupation...

Name and signature of the surety--

Signed by surety in the presance of;

Name of withness & Signature...

....

Address...

....

Occupation...

प्रारूप (एक)

आरक्षित पद अथवा सीट पर नियुक्त/प्रवेशित/निर्वाचित/नामांकित/मनोनित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत

शपथ–पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी .... आ0 .... उम्र ...... वर्ष ...... व्यवसाय .... निवासी .... तहसील .... जिला .... राज्य .... शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि :

(1) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद/सीट/ लाभ/सुविधा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है/था।

(2) मेरी नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/नामांकन/मनोनयन आरक्षित पद/सीट के अध्ययधीन प्रदान की गई है।

(3) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को होने के संबंध में ....(प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं पद) द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(4) मेरे द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र विहित रीति से तथा विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है तथा उक्त प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु मेरे द्वारा सक्षम प्राधिकारी को दी गई समस्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सत्य है।

(5) कदाचित उपर्युक्त जाति प्रमाण पत्र/सत्यापन प्रमाण–पत्र के गलत अथवा कपट पूर्वक प्राप्त करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तथा उक्त के आधार पर अथवा स्वप्रेरण से सामाजिक प्रास्थिति जिला स्तरीय सत्यापन समिति मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में कोई जॉच करती है अथवा गहन जॉच हेतु सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति को संदर्भित करती है तथा उक्त समिति या समितियों के द्वारा मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में की गई जॉच एवं पारित निर्णय से यह प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में किया गया दावा तथा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र गलत अथवा कपटपूर्वक प्राप्त किया गया है तो बिना किसी अपवाद के आरक्षित पद/सीट के अध्ययधीन मेरी नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/चयन/प्रदत्त लाभ/सुविधा, यथास्थिति अनावेदक (संबंधित लोक नियोजक/शैक्षणिक संस्था/संवैधानिक निकाय/राज्य शासन/केन्द्र शासन का नाम) ....

64

.... द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त/समाप्त/अपवर्जित किया जा सकेगा तथा मैं उक्त नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/चयन/प्रदत्त लाभ/सुविधा आदि के संबंध में व्यय की गई राशि अनावेदक को वापस करने हेतु दायित्वाधीन होऊँगा तथा उक्त राशि मुझसे भू राजस्व के बकाया की भाँति वसूली जा सकेगी तथा उक्त संबंध में मेरे विरूद्ध छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 8 से 13 में निर्दिष्ट कार्यवाही की जा सकेगी

हस्ताक्षर ....

सत्यापन

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी ....
आत्मज/आत्मजा .... सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र की कण्डिका 1 से 5 में उल्लिखित लेख मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी अनुसार सही है, जिसे मैं पूरे होशो हवास में सत्यापित करता हूँ

हस्ताक्षर ....